

आदेश की
तिथि

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश एवं कार्यवाही
कर्मचारी विभाग
आदेश

6/8/2020

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त पत्रिकेदन एवं
 वर्तमान पंजी से पूर्व की जमावंदी पंजी/ हेका में उपलब्ध कर्मीन्यास
 खतियान/वादी के वंशज द्वारा उपलब्ध कराये गये चर्चोवली पत्रों को
 अवलोकन करने के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि मौजा कुपरी
 के पंजी II में के गॉल्युम सं० I के पृष्ठ सं० 127 में
लिखतुल सिंगा के नाम से करण जमावंदी राकम पत्रिकार के
 आदेश के आलोक में संधारित है। वादी लिखतुल सिंगा के नाम
 से करण जमावंदी को अवैध नहीं माना जा सकता है। अतः राजस्व
 उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त अनुज्ञप्ति एवं उपलब्ध राजस्व
 दरखावतों के आधार पर मौजा कुपरी के पंजी II के पृष्ठ सं०
127 में लिखतुल सिंगा के नाम से करण जमावंदी
 को अवैध नहीं स्वीकार करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

(Signature)
 6/8/2020
 अंचल अधिकारी
 वाराणसी

सेवा में,

अंयम अधिकारी तोरपा ।

विषय :- बाह सं० ३७/१६-१७ के संबंध में,

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्रीमती कुंदरी का खता नं० ९५ प्लॉट नं० ९५६ स्वतंत्रता में औरमजरना खास है। इस क्षेत्र सर्विस निगमा पिआ आइएम निगमा कुम रकबा २००० रकड् श्रमि की जमाबन्दी कायम है। विद्या (माशरकड्) श्रमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ५४ के तहत श्रम कारबाही की गई है। नुल नं० १२७ में है। वही लीविनुस निगमा के वडाज द्वारा जमाबन्दी कायम होने के रूप में निम्नांकित दरतावेज प्रस्तुत किया गया।

७ बन्दौवन्दी पर्चा का दया प्रती

८ लगान रशीद बर्ज २०१५-१६ का दया प्रती।

दरका में उपलब्ध राजस्व दरतावेजों की जाँच की गई जायो उपरान्त निम्नांकित तथ्या सामने आई।

७ पुराना पंजी ११ में वर्ष ९१-९२ से लगान कस्रती

८ पुराना पंजी ११ में बन्दौवन्दी बाह सं० ३२३/९०-९१ दर्ज पाया गया।

भवे: मनु० पदा० खती द्वारा स्विकृत बन्दौवन्दी परवाना के आधार पर निधीमसि करवा किया जा सकता है।

१२-५१

५१

